न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 51/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र रामगोपाल
2. काली बाई पुत्री रामगोपाल पत्नि बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासी पानडी तहसील व जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) **(मृतक)**

2/1. प्रिन्स पुत्र कालीबाई पत्नि बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासी पानडी तहसील व जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश)

2/2. फूलंता पुत्री कालीबाई पत्नि बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासी पानडी तहसील व जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश)

3. गुलाब बाई बेवा रामगोपाल, जातिगण धाकड़, निवासीगण बमोरीकलां तह0 मांगरोल **(मृतक)**

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलेक्टर

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1)**

आदेश दिनांक–17.03.2025

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 2356 रकबा 0.51 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014–2023 में खसरा नम्बर 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2044–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 168 रकबा 0.54 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी I दर्ज कर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। केचमेन्ट वर्ष 2000–01 में उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 2356 रकबा 0.51 है. कायम किये गये हैं। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/ नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/ [illegible] अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं[illegible]03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, [illegible] ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन [illegible] किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.04.21 16:22:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब रेफरेंस इस आशय का पेश हुआ कि आराजी खसरा नंबर 2356 में खसरा नंबर 104/1 की 2 बीघा 4 बिस्वा आराजी किस्म बंजड़ भी सम्मिलित है। उपनिवेशन विभाग मांगरोल द्वारा दिनांक 22.09.67 को खसरा नंबर 104/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा आराजी को नीलामी में प्रतिवादी के पिता स्व0 रामगोपाल को विकय किया गया था जिसका बिकी प्रमाण पत्र दिनांक 22.09.1967 को स्व0 रामगोपाल के पक्ष में जारी किया गया। बवक्त बिकी उक्त दोनो खसरा नंबरान की आराजी की किस्म माल अव्वल दर्ज थी। बिकी के पश्चात दिनांक 26.04.1978 को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये गये। इस प्रकार सन् 1978 से स्व0 रामगोपाल जी एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी उक्त आराजी के खातेदार एवं काबिज चले आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उचित प्रतिफल राशि लेकर उक्त आराजी को विकय किया गया है, इसलिये उक्त आराजी में राज्य सरकार का कोई हित विहित नहीं रह जाता है, इसलिये प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

3– उक्त जवाब पेश होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 2356 रकबा 0.51 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014–2023 में खसरा नम्बर 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2044–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 168 रकबा 0.54 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी I दर्ज कर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दिया। केचमेन्ट वर्ष 2000–01 में उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 2356 रकबा 0.51 है. कायम किये गये हैं। जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी मौके की स्थिति की जानकारी लेकर भूमि कृषि योग्य पाये जाने पर ही नियमानुसार प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय की गई थी। मौके पर कोई तलाई मौजूद नहीं थी और ना वर्तमान में मौके पर कोई तलाई है। वर्तमान मे अप्रार्थी विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त आराजी अप्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन है। आराजी खसरा नंबर 2356 में साबिक खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई के साथ साथ आराजी खसरा नंबर 104/1 की 2 बीघा 4 बिस्वा आराजी किस्म बंजड़ भी सम्मिलित [illegible] उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5– हमने उभयपक्ष [illegible] उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटल[illegible] पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–2023 में ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.04.21 16:22:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बमोरीकलां की आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई के साथ साथ आराजी खसरा नंबर 104/1 की 2 बीघा 4 बिस्वा किस्म बंजड़ को शामिल करते हुए नवीन ख0नं0 168 रकबा 0.54 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि रामगोपाल पुत्र सुखपाल जाति धाकड़ निवासी बमोरीकलां को विक्रय की जाकर उसके गैर खातेदारी में दर्ज की गई। केचमेन्ट वर्ष 2000–01 में उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 2356 रकबा 0.51 है. कायम किये गये हैं। जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069–72 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार रामगोपाल पुत्र सुखपाल जाति धाकड़ निवासी बमोरीकलां को जिस वक्त ग्राम बमोरीकलां की आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि विक्रय की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो विक्रय योग्य भूमि नहीं थी। रामगोपाल पुत्र सुखपाल जाति धाकड़ निवासी बमोरीकलां को उक्त आराजी का विक्रय नियम विरूद्व हुआ है।

6– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम ग्राम बमोरीकलां की आराजी साबिक खसरा नम्बर 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के विक्रय को विधि विरूद्व मानते हुए, निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम बमोरीकलां में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 2356 रकबा 0.51 है. किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नंबर 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई तथा आराजी सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नंबर 104/1 की 2 बीघा 4 बिस्वा किस्म बंजड़ से बना है जिसका रामगोपाल पुत्र सुखपाल जाति धाकड़ निवासी बमोरीकलां को गलत रूप से विक्रय हुआ है, निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8– तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 17.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.04.21 16:22:51 IST
Reason: SelfAttested